आदेश पत्रिका निरंतर

एससी एनआईएक्ट.–55/2020

नेशनल लोकअदालत खण्डपीठ कमांक 41, देपालपुर, इंदौर 11.02.2023

परिवादी फौत, उसकी ओर से उसके वारिसान संतोष बाई, भावना, निकिता व राहुल तथा अधिवक्ता श्री चिंतामन बाथम उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री बी आर पटेल उपस्थित।

उभयपक्ष द्वारा व्यक्त किया गया है कि उनके मध्य पूर्व में राजीनमा हो चुका है जिसके अनुक्रम में दिनांक 04.01.2023 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/विधिक वारिसान संतोष बाई, राहुल निकिता व भावना द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 320–4 दप्रसं प्रस्तुत किया गया।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

उभयपक्ष द्वारा बताया गया है कि परिवादी प्रेमसिंह पिता अम्बाराम की मृत्यु हो चुकी है। आवेदकगण प्रेमसिंह के विधिक वारिसान है। अभिलेख पर प्रेमसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है।

उभयपक्ष को श्रवण कर परिवादी प्रेमसिंह के विधिक वारिसान को अभियुक्त जितेन्द्र के साथ राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

राजीनामा आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया ।

उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया गया है कि उनका स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। मामला लोक अदालत खण्डपीठ के समक्ष रखा जाये।

उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गयी है।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया, तथा मामला लोक अदालत खण्ड पीठ के समक्ष पेश।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि उभयपक्ष ने स्वेच्छया राजीनामा करना व्यक्त किया है। अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। मामला शमनीय प्रकृति का है। लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गयी। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि, अभियुक्त जितेन्द्र पिता रामेश्वर निवासी पीरपिपल्या देपालपुर को उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के अनुक्रम में धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम की आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

मामले में दिनांक 28.02.2022 को अभियुक्त प्रथम बार उपस्थित हुआ है, दिनांक 05.03.2022 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के संबंध में सहमति हुयी है। दिनांक 11.03.2022 के पश्चात मामला परिवादी की मृत्यु हो जाने से विधिक वारिसान के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु

नियत रहा है। ऐसी स्थिति में परिशमन शुल्क वसूल किया जाना आवश्यक नहीं है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने के कारण परिवादी की ओर से उसके पुत्र राहुल को, शेष वारिसान द्वारा लिखित सहमति प्रदाय किये जाने से, न्यायशुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी हो।

मामले में कोई कार्यवाही शेष नहीं।

प्रकरण का अभिलेख नियमानुसार परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर समस्त पूर्ति पश्चात दालिख रिकार्ड किया जावे।

सय्यद दानिश अली
जे.एम.एफ.सी,/पीठासीन अधिकारी,
खण्डपीठ क्रमांक 41, देपालपुर, इंदौर

सुलहकर्ता सदस्यः—श्री दिनेश डोंड, अधिवक्ता।